राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर
ग्रामीण विकास में भूमि विकास बैंकों की भूमिका

1. सरंचना :

राज्य में भूमि विकास बैंकों का संघीय संगठन है, राज्य स्तर पर राज्य भूमि विकास बैंक है जिसकी स्थापना 26 मार्च 1957 को हुयी थी। जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत है। राज्य के 33 जिलों में 36 भूमि विकास बैंको द्वारा 143 शाखाओं के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण वितरित किये जा रहे है।

श्रीगंगानगर एवं प्रतापगढ़ भूमि विकास बैंकों की कोई शाखा नहीं है । राज्य के 3 जिलों अजमेर, जोधपुर एवं श्रीगंगानगर में प्रत्येक में 2 प्राथमिक बैंक है। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	जिला	नाम प्राथमिक बैंक
1.	अजमेर	अजमेर एवं केकडी
2.	जोधपुर	जोधपुर एवं बिलाडा
3.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर एवं रायसिंहनगर

2. ऋण गतिविधियॉ :

ग्रामीण साख के क्षेत्र में भूमि विकास बैंकों की विशिष्ट भूमिका है। भूमि विकास बैंकों की स्थापना का मूल उद्येश्य कृषकों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने हेतु पुराने ऋणों के चुकारे व भूमि को बन्धक मुक्त कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराना था।

आज भूमि विकास बैंक परम्परागत उद्येश्यों यथा नवकूप निर्माण, कूप गहरा, कूप मरम्मत, पम्पसैट, ट्रेक्टर, पक्की नाली आदि के साथ–साथ फल वृक्षारोपण, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, डेयरी, मत्स्य–पालन, भेड/बकरी पालन आदि उद्येश्यों हेतु भी ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। उद्येश्यों के 5 मुख्य वर्ग निम्नानुसार है:–

(अ) लघु सिंचाई उद्येश्य :

नलकूप, नवकूप निर्माण, कूप गहरा/ मरम्मत, विद्युत/डीजल पम्पसैट, डिग्गी निर्माण, पक्की नाली, स्प्रिंकलर एवं फार्म पोण्ड, लिफ्ट इरीगेशन, पम्प हाऊस, ड्रिप सिंचाई विधुतिकरण आदि मुख्य उद्येश्य है। जल सरंक्षण की दृष्टि से पक्की नाली निर्माण, स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि डार्क क्षेत्रों में नलकूप, नवकूप निर्माण, कूप गहरा/मरम्मत, विद्युत/डीजल पम्पसैट आदि हेतु ऋण उपलब्ध नहीं कराये जाते है। ऋण की अवधि 5 से 15 वर्ष है।

(ब) कृषि यंत्रीकरण :

ट्रेक्टर, थ्रेशर, ट्रॉली एवं अन्य कृषि यन्त्रों हेतु भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराये जाते है। निर्धारित शर्तो के अनुसार 6 एकड बारह मासी सिंचित कृषि भूमि या सम

मूल्य की असिंचित कृषि भूमि होने पर ही कृषक को ट्रेक्टर हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ट्रेक्टर के साथ 2 कृषि यन्त्र (ट्रॉली सहित) कृषक के पास उपलब्ध होने की सुनिश्चितता करनी होगी अन्यथा ट्रैक्टर के साथ क्रय करना आवश्यक है। नाबार्ड व राज्य सरकार की अनुमति से ट्रैक्टर क्रय हेतु अप्रेल 2008 से नकद ऋण भुगतान योजना लागू की गई है। ऋण की अवधि 9 वर्ष है।

(स) विविधिकृत उद्येश्य :

फल वृक्षारोपण, डेयरी, मत्स्य पालन, भेड/बकरी, मार्केट यार्ड, भू–समतलीकरण, भू–सरंक्षण, कुक्कुट पालन, फूल खेती, मेहन्दी, अनाज भण्डारण हेतु ग्रामीण गोदाम, प्याज गोदाम, शीतगृह निर्माण, जोजोबा, बायो–गैस सयन्त्र, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, कृषि क्लिनिक स्थापना आदि उद्येश्यों हेतु ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे है। ऋण की अवधि 5 से 12 वर्ष है।

(द) अकृषि ऋण :

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से, भूमि विकास बैंकों द्वारा 1991–92 से, अकृषि उद्येश्यों हेतु ऋण वितरण प्रारम्भ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, लघु कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण दस्तकारों एवं लघु उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। इसके अतिरिक्त दुपहिया वाहनो, जीप/कार एवं लघु पथ परिवहन वाहनों, स्वरोजगाार क्रेडिट कार्ड, उच्च शिक्षा हेतु ऋण भी ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। ऋण की अवधि 2 से 10 वर्ष है।

(य) ग्रामीण आवास :

राष्ट्रीय बैंक के वित्तीय सहयोग से कृषकों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण एवं भवन मरम्मत हेतु ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। ऋण की अवधि 5 से 15 वर्ष है। दिनांक 01.04.2015 से 30.06.2015 तक 192 केसेज में रुपये 991.54 लाख का ऋण वितरण किया गया है।

(र) फसली ऋण वितरण :

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के ऋणी सदस्यों जो अपनी मांग का नियमित चुकारा करते है, उनको स्वंय के वित्तीय स्त्रोत से फसली ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2011–12 से फसली ऋणों का पुनर्भरण नाबार्ड द्वारा नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में 01.04.2012 से 31.03.2013 तक प्राथमिक बैंकों द्वारा 5937.83 लाख के फसली ऋण उपलब्ध कराये गये है। वर्ष 2013–14 में 01.04.2013 से 31.3.2014 तक प्राथमिक बैंकों द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से 5066.75 लाख के फसली ऋण उपलब्ध कराये गये है। वर्ष 2014–15 में 01.04.2014 से 31.03.2015 तक प्राथमिक बैंकों द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से 3972.51 लाख के फसली ऋण उपलब्ध कराये गये है। ऋण की अवधि 1 वर्ष है। वर्ष 2014–15 में फसली ऋण उन्हीं कृषकों को दिया जा रहा है जो पूर्व में लिए ऋण का

चुकारा कर 11.50 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण लेना चाहता है। वर्ष 2015–16 में 01.04.2015 से 30.06.2015 तक प्राथमिक बैंकों द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से 1619 केसेज में रुपये 2784.39 लाख के फसली ऋण उपलब्ध कराये गये है।

3. कृषकों के हित में योजनायें :

कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से विभिन्न योजनाऐं लागू की गयी हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

(1) महिला विकास ऋण योजना :–

महिलाओं को आय के साधन जुटाने की दृष्टि से भूमि विकास बैंकों द्वारा महिला विकास ऋण योजना के अन्तर्गत महिलाओं को अकृषि उद्देश्यों तथा डेयरी हेतु अधिकतम 50,000 रू तक का ऋण, कृषि भूमि की प्रतिभूति के बिना भी दो व्यक्तियों की गारण्टी पर उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2014–15 में महिला विकास योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु 993 केसेज में रु. 496.50 लाख के लक्ष्य आवंटित किए गए है जिसके विरुद्ध प्राथमिक बैंकों द्वारा 01.04.2014 से 31.03.2015 तक 1708 महिलाओं को रुपये 2854.22 लाख के ऋण वितरित किये गये है जिनमें से महिला विकास ऋण योजना में 574 महिलाओं को 290.26 लाख के ऋण वितरित किये गये है। वर्ष 2015–16 में महिला विकास योजनान्तर्गत ऋण वितरण हेतु 633 केसेज रुपये 316.50 लाख के लक्ष्य आवंटित किए गए है जिसके विरुद्ध प्राथमिक बैंकों द्वारा 01.04.2015 से 30.06.2015 तक 536 महिलाओं को रुपये 910.60 लाख के ऋण वितरित किये गये है जिनमें से महिला विकास ऋण योजना में 59 महिलाओं को 25.86 लाख के ऋण वितरित किये गये है जो लक्ष्यो का 8.17 प्रतिशत है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है।

(2) विद्युतीकरण :

विद्युत कनेक्शन लेने के लिये विद्युत विभाग में डिमाण्ड राशि जमा कराने हेतु किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये यह योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 01.04.2014 से 31.03.2015 तक 50 केसेज में रू. 53.08 लाख का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2015–16 में 01.04.2015 से 30.06.2015 तक 5 केसेज में रुपये 6.20 लाख का ऋण वितरण किया गया है। ऋण की अवधि 9 वर्ष है।

(3) स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड :

राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रायोजित स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत अकृषि गतिविधियों हेतु अधिकतम 50000 तक के ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है। वर्ष

2014–15 में 01.04.2014 से 31.3.2015 तक 617 मामलों में 250.57 लाख के ऋण वितरित किये गये है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है। वर्ष 2015–16 में 01.04.2015 से 30.06.2015 तक 185 मामलों में 70.92 लाख के ऋण वितरित किये गये है।

(4) <u>पर्यटन सेवा ऋण योजना</u> :

राष्ट्रीय बैंक के परिपत्र दिनांक 21 जनवरी 2004 द्वारा अकृषि उद्देश्य के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराने तथा स्ववित्त योजना में पुनर्भरण प्रदान करने की अनुमति दी गयी थी। राष्ट्रीय बैंक के दिशा निर्देशो के परिपेक्ष्य में पर्यटन गतिविधियों हेतु भूमि विकास बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिये पर्यटन सेवा ऋण योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गतिविधियों हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्ष 2014–15 में 01.04.2014 से 30.06.2015 तक कोई ऋण वितरण नहीं हुआ है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है।

(5) <u>शैक्षणिक संस्थान हेतु ऋण योजना</u> :

राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक अपने कार्यक्षेत्र में निजी क्षेत्र की अच्छी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, विकास आदि के लिए ऋण उपलब्ध करवा रही है। प्राथमिक बैंकों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूल, कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षण संस्था, जैसे मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, प्रोद्योगिक तकनीकी संस्थान आदि के लिए इस योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किये जा रहे है। इस योजना के प्रारम्भ से 31.03.12 तक 3 केस में 77.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2013–14 में 01.04.2013 से 31.3.2014 तक 12 मामलो में 158.84 लाख़ का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2014–15 में 01.04.2014 से 31.03.2015 तक 6 मामलों में 161.30 लाख का ऋण वितरित किया गया है। वर्ष 2015–16 में 01.04.2015 से 30.06.2015 तक 1 मामलों में 56.00 लाख का ऋण वितरित किया गया है। ऋण की अवधि 2 से 10 वर्ष है।

(6) <u>उच्च शिक्षा ऋण योजना</u> :

राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के बच्चों को स्नातकोत्तर एवं प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इन्जिनियरिंग मेडिकल, वेटनरी, कृषि, फैशन तकनीक, आयुर्वेद, कम्पूटर शिक्षा, मैनेजमेन्ट आदि कोर्सेज में अध्ययन कराने हुेत इसी योजनान्तर्गत ऋण वितरण कर रही है। इस योजनान्तर्गत अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक अथवा प्रस्तावित व्यय का 80 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2013–14 में 01.04.2013 से 31.3.2014 तक 14 मामले में 31.99 लाख़ का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2014–15 में 01.04.2014 से 31.3.2015 तक 12 मामलें में रू. 198.88 लाख का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष

2015–16 में 01.04.2015 से 30.06.2015 तक 5 केसेज में रू. 17.44 लाख का ऋण वितरण किया गया है। ऋण की अवधि 5 वर्ष है।

(7) <u>मुख्यमंत्री जलधारा योजना</u> :–

राज्य में पिछले कुछ वर्षो से हो रही अल्प वर्षा के कारण भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण क्षेत्र (अनूसूचित जनजाति/सहरिया क्षेत्र) की अधिकांश पंचायत समितियां डार्क श्रेणी में वर्गीकृत हो गयी है, जिससे बैंकों को लघु सिंचाई उद्देश्यों के लिये ऋण वितरण करने में कठिनाई उत्पन्न हुयी है। अतः क्षेत्र के कृषकों को डार्क जोन क्षेत्र में भी लघु सिंचाई योजना उद्देश्यों जैसे नवकूप निर्माण, कूप गहरा करवाना, नलकूप निर्माण, पम्पसेट विद्युतीकरण आदि उद्देश्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिये अनूसूचित जनजाति/सहरिया क्षेत्र के 6 जिलों (उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां एवं सिरोही) की 25 पंचायत समितियों में (जिनमें 4 सुरक्षित, 8 अद्धसंवेदनशील एवं 13 डार्क जोन में वर्गीकृत है) मुख्यमंत्री जनजाति (अनूसूचित/सहरिया क्षेत्र) जलधारा योजना 15.12.2007 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजनान्तर्गत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। योजना के प्रारम्भ से 31.03.2014 तक प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा 2420 ऋणी कृषकों को रू. 965.04 लाख का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2014–15 में 01.04.2014 से 31.3.2015 तक 217 ऋणियों को रू. 82.91 लाख़ का ऋण वितरण किया गया है। ऋण की अवधि 5 से 15 वर्ष है।

(8) <u>ट्रैक्टर नकद ऋण वितरण योजना</u> :

ट्रैक्टर योजनान्तर्गत कृषकों को ट्रैक्टर क्रय करने हेतु रेखांकित चैक द्वारा ऋण वितरित किये जा रहे हैं। ऋणी कृषक चैक को अपने बचत खाते में जमा कराकर अपनी पसन्द का ट्रैक्टर, मोल–भाव कर 15 दिवस में(विशेष परिस्थिति में एक माह में) क्रय करेगा। ऋणी कृषक द्वारा निर्धारित अवधि में ऋण का उपयोग नहीं करने पर बैंक द्वारा 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज लिया जायेगा तथा दिये गये ऋण की एकमुश्त वसूली की जावेगी। वर्ष 2014–15 में 01.04.2014 से 31.03.2015 तक 240 मामलें में रू. 929.86 लाख का ऋण वितरण किया गया है। वर्ष 2015–16 में 01.04.2015 से 30.06.2015 तक 11 मामले में रू. 44.30 लाख का ऋण वितरण किया गया है। ऋण की अवधि 9 वर्ष है।

(9) <u>कृषि/अकृषि एकमुश्त समाधान योजना 2014</u> :

भारत सरकार की ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 में वंचित रहे ऐसे ऋण खाते जो संदिग्ध व हानिकारक आस्तियों में वर्गीकृत हो गये, उनकी वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2010 लागू की गई है। जिसमें चूककर्ता ऋणी सदस्य की ओर दिनांक 30.06.2010 को अवधिपार ब्याज में 50.00 प्रतिशत तथा दण्डनीय ब्याज व अन्य वसूली खर्च की पूर्ण छूट किये जाने का प्रावधान है। योजना की अवधि दिनांक 30.06.2015 तक कर दी गई है। योजना 2014 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2014 को कुल पात्र ऋणी 73065 मामलों के विरूद्ध कुल बकाया राशि 58153.71 लाख रूपये है। इनके

विरूद्ध दिनांक 31.05.2015 तक पूर्णतः निस्तारित 4479 मामलों में राशि 3127.61 लाख रूपये वसूल किये गये तथा कुल आंशिक एवं पूर्णतः निस्तारित मामलों में कुल 3247.66 लाख रूपये की वसूली की गई। जो कुल पूर्णतः एवं आंशिक जमा राशि का 5.58 प्रतिशत एवं ऋणियों की संख्या का 6.13 प्रतिशत है।

(10) बजट घोषणा वर्ष 2014–15 के बिन्दु संख्या 106 के क्रियान्विति योजना :

बजट घोषणाः– कृषि व कृषि सम्बद्ध क्षेत्रो में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु राज्य के किसानों द्वारा भूमि equipment तथा Technology में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से यह योजना माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा लागू की गई इसलिए कृषि क्षैत्र में दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देने के लिए योजना का अधिकाधि प्रचार–प्रसार कर देय होनी वाली मांग का समय पर पूर्ण चुकारा करने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करते हुए अधिकाधिक संख्या में किसानों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा।

योजना में बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में कृषि व कृषि सम्बद्ध गतिविधियों (विविधिकृत उद्धेश्यों) हेतु वितरित दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगाः–

1. यह योजना (5 प्रतिशत ब्याज दर में अनुदान) 1 अप्रेल 2014 से लेकर 31 मार्च, 2015 तक वितरित दीर्घकालीन कृषि निवेश सहकारी ऋणों पर लागू होगी।
2. योजना की अवधि 31 मार्च 2016 तक विस्तारित की गयी है। जिसके अन्तर्गत 01.04.2015 से 30.06.2015 तक वितरित ऋण भी योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु सम्मिलित होगे।

<u>प्रगति</u> :

राज्य सरकार की उक्त बजट घोषणा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में दीर्घकालीन कृषि उद्येश्यो के अन्तर्गत किये गये ऋण वितरण के विरुद्ध मॉग के सम्बन्ध में 25 प्राथमिक बैकों (भीलवाडा, केकडी, नागौर, अलवर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुंनू, सीकर, बालोतरा, बिलाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, बारां, झालावाड, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ, प्रतापगढ़ एवं राजसमन्द) से कुल 101.67 लाख रूपये की राशि के ब्याज अनुदान दावा प्रपत्र प्राप्त हुये है जिसके विरुद्ध निजी निक्षेप खाते से राशि 99.91 लाख रूपये का आहरण कर प्राथमिक बैंको को भिजवा दिया गया है।

(11) <u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना :</u>

इस केन्द्र प्रायोजित डेयरी उद्यमिता विकास योजना में 30.06.2015 तक नाबार्ड को 1007 ऋणी सदस्यों के 1067.22 लाख रू. के अनुदान प्रस्ताव स्वीकृति हेतु नाबार्ड भिजवाये गये है।

बैंक की उपलब्धियॉ :

(अ) ऋण पुर्नभरण :

राज्य भूमि विकास बैंक प्रांरभ होने से 31 मार्च 2015 तक राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा रू. 493746.09 लाख का ऋण पुर्नभरण किया था जिसमें से लघु सिंचाई उद्देश्यों हेतु रू. 119124.59 लाख, विविधिकृत उद्देश्यों हेतु रू. 93324.31 लाख, कृषि यंत्रीकरण हेतु रू. 174500.74 लाख, अकृषि उद्देश्यों हेतु रू. 51657.38 लाख, ग्रामीण आवास हेतु रू. 31518.98 लाख एंव फसली ऋण हेतु रू. 23620.09 लाख का ऋण पुर्नभरण किया गया। गत वर्षो में राज्य भूमि विकास बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा किए गए ऋण पुर्नभरण की प्रगति निम्न प्रकार है :–

(1) राज्य भूमि विकास बैंक स्तर पर ऋण पुर्नभरण :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य	ऋण पुर्नभरण	उपलब्धि प्रतिशत
2010-2011	**30000**	**25064.42**	**83.55**
2011-2012	**30000**	**22946.39**	**76.49**
2012-2013	**33000**	**18266.18**	**55.35**
2013-2014	**27195**	**21715.32**	**79.85**
2014-2015	**29500**	**21866.87**	**74.12**
2015-16 (1.4.15 to 30.06.15)	**32075**	**3170.2**	**9.88**

(2) प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण : गत 5 वर्षो में प्राथमिक भूमि विकास बैंक स्तर पर उपलब्ध कराये गये ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य	ऋण वितरण	उपलब्धि%
2010-2011	**30000.00**	**27424.46**	**91.41**
2011-2012	**30000.00**	**26559.65**	**88.53**
2012-2013	**33000.00**	**23750.09**	**71.97**
2013-2014	**27195.00**	**21361.52**	**78.55**
2014-2015	**29500.00**	**21666.35**	**73.45**
2015-2016*	**32075.00**	**5058.95**	**15.77**

*** – 1.4.2015 से 30.06.2015 तक**

(3) सेक्टरवार ऋण वितरण :–

(अ) प्राथमिक बैंक स्तर पर

(राशि लाखों में)

क्र.स.	सैक्टर	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014.15	2015.16*
1	लघुसिंचाई	2001.55	1051.41	714.62	1110.14	802.07	142.9
2	कृषि यंत्रीकरण	7324.11	5283.56	3348.46	2575.82	1751.82	417.83
3	विविधिकृत	6899.47	7650.17	7309.38	8454.67	9471.50	2430.51
4	अकृषि	3016.14	3314.85	3845.86	4912.12	5462.17	1076.17
5	ग्रा0आवास	2044.80	2303.01	2593.94	4308.77	4178.79	991.54
6	फसली ऋण	6138.39	6956.65	5937.83	5063.64	3972.51	2784.39
7	मोर्गेज ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.55
	योग	**27424.46**	**26559.65**	**23750.09**	**26425.16**	**25638.86**	**8274.89**

* – 1.4.2015 से 30.06.2015 तक

(आ) प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/जन–जाति के कृषकों को ऋण वितरण का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण		अनु.जा/जनजाति को ऋण वितरण		कुल ऋणियों की संख्या से प्रतिशत
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
2010-11	20470	27424.46	5171	4929.48	25.26
2011-12	20101	26559.65	4741	4845.17	23.59
2012-13	11468	23750.09	2256	3075.71	19.67
2013-14	14806	26425.16	3321	4096.54	22.43
2014-15	10963	25638.86	2256	3212.45	20-57
2015-16*	4148	8274.89	708	1012.22	17.07

* – 1.4.2015 से 30.06.2015 तक

(4) ऋण पत्र निर्गमन :

(राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि %
2010-2011	20852.93	20852.93	100.00
2011-2012	21325.58	20813.64	97.60
2012-2013	22500.00	22188.09	98.61
2013-2014	20000.00	20000.00	100.00
2014-2015	22500.00	17576.66	78.12

(5) ऋणों की वसूली :

(i)राज्य बैंक स्तर पर (30 जून की स्थिति) :

(राशि लाखों में)

वर्ष	मॉग	वसूली	बकाया	प्रतिशत
2009-2010	77109.65	39947.99	37161.66	51.81
2010-2011	79827.00	41860.17	37966.83	52.44
2011-2012	72136.58	35209.20	36927.38	48.81
2012-2013	75402.09	33072.40	42329.69	43.86
2013-2014	53933.32	31028.80	22904.52	57.53

(ii) प्राथमिक बैंक स्तर पर : (30 जून की स्थिति)

(राशि लाखों में)

वर्ष	मांग	वसूली	बकाया	प्रतिशत
2009-2010	102299.79	38712.81	63586.98	37.84
2010-2011	110753.58	50114.67	60638.91	45.25
2011-2012	108461.02	43494.64	64966.38	40.10
2012-2013	115512.24	43781.35	71730.89	37.90
2013-2014	114893.13	41944.31	72948.82	36.51
2014-2015 (1-7-14 to 30-06-2015)	111250.10	35666.50	75583.60	32.06

5. वित्तीय उपलब्धियॉ :

(i) राज्य भूमि विकास बैंक (31 मार्च की स्थिति) : – (राशि लाखों में)

वर्ष	हिस्सा राशि	सुरक्षित कोष	ऋण पत्र निर्गमन	ऋण वितरण	ऋण बकाया	कार्य शील पूंजी	वर्षिक लाभ
2009-2010	3436.07	4685.15	20942.57	25899.21	149478.81	176486.51	1884.67
2010-2011	3536.85	5838.13	20852.93	25064.42	148126.00	182673.30	2036.08
2011-2012	3624.26	6880.67	20813.64	11169.87	144387.76	156010.26	1912.11
2012-2013	3678.81	7360.76	22188.09	18266.18	141035.79	179228.71	306.84
2013-2014	3729.86	7360.76	20000.00	21766.62	144349.47	180538.30	215.30
2014-2015*	3810.78	7360.76	17576.66	21866.87	145303.97	N.A.	N.A.

*** – Tentative**

(ii) प्राथमिक बैंक स्तर पर :– (राशि लाखों में)

विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1.हिस्साराशिः					
अ–सदस्य	8660.83	8439.91	8054.11	7761.04	7651.99
ब–राज्यसरकार	2178.23	2255.03	2297.79	2344.23	2345.55
स–कुलः	10839.06	10694.94	10351.90	10105.27	9997.54
2.रिजर्व/अन्य कोष	46735.12	50260.23	53132.52	59415.74	63231.18
3.निजी कोष	57574.18	60955.17	63484.42	69521.01	73228.72
4.उधार बकाया	149910.69	147645.80	144387.76	140465.88	143895.06
5.ऋण बकाया	142771.67	141017.95	135499.80	128230.51	127877.09
6.कार्यशील पूंजी	215842.96	214979.66	209889.29	206055.64	208119.00
7.वार्षिक लाभ/हानिः					
अ–राशि लाभ	1093.20	1316.00	835.64	523.93	638.12
ब–संख्या बैंक	(23)	(24)	(20)	(17)	(15)
स–राशि हानि	-3584.21	-3590.65	-3474.36	6394.28	-5164.04
द–संख्या बैंक	(13)	(12)	(16)	(19)	(21)
8.संचित लाभ/हानिः					
अ– राशि लाभ	5691.57	6136.51	5725.86	4013.62	3778.67
ब– संख्या बैंक	(18)	(19)	(17)	(16)	(16)
स– राशि हानि	-11386.52	-13839.10	-16959.08	-23333.48	-23429.33
द– संख्या बैंक	(18)	(17)	(19)	(20)	(20)
9. ऋणी सदस्य	733286	719588	736086	708281	697174

6. वर्ष 2015–16 का ऋण वितरण कार्यक्रम :

वर्ष 2015–16 मे प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको के माध्यम से 320.75 करोड़ के ऋण वितरण लक्ष्य आवंटित किये गये है। दिनांक 1 अप्रेल 2015 से 30 जून 2015 तक रुपये 50.59 करोड का दीर्घकालीन ऋण वितरण किया गया है जो लक्ष्यों का 15.77 प्रतिशत है।

7. ब्याज दर :–

राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको द्वारा ऋणियों को दिनांक 19.03.2015 से 12.80 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराये जा रहे है।

8. हिस्सा राशि :–

राज्य की प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको द्वारा ऋणियों से 2.00 लाख रुपये तक के ऋणों पर 5.00 प्रतिशत हिस्सा राशि एवं 2.00 लाख रुपये से अधिक ऋण पर 3.00 प्रतिशत हिस्सा राशि ली जाती है।

9. लाभ :–

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वर्ष 2010–11 में रू. 2036.08 लाख तथा वर्ष 2011–12 में रू. 1912.11 लाख, वर्ष 2012–13 में 306.84 लाख का शुद्ध लाभ एवं वर्ष 2013–14 में 215.30 लाख का लाभ अर्जित किया गया है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वर्ष 2010–11 में 24 प्रा.बैंकों द्वारा रू. 1316.00 लाख रूपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया था, वर्ष 2011–12 में 20 प्राथमिक बैंकों द्वारा रू. 835.64 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया था, वर्ष 2012–13 में 17 प्राथमिक बैंको द्वारा 523.93 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है एवं वर्ष 2013–14 में 15 प्राथमिक बैंको द्वारा 638.12 लाख का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है।

10. लाभांश :–

गत 10 वर्षों में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित लाभांश का विवरण निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	लाभॉश दर	लाभॉश राशि (लाखों में)
2002-03	10%	263.60
2003-04*	-	-
2004-05	10%	288.30
2005-06	10%	301.43
2006-07	10%	317.93
2007-08	10%	331.78
2008-09	10%	339.29
2009-10	10%	343.16
2010-11	10%	351.27
2011-12	10%	361.23
2012-13*	-	-
2013-14**	-	-

*– वितरण योग्य लाभ नहीं होने के कारण लाभांश वितरित नहीं किया गया।

** – आमसभा का आयोजन नहीं हो पाया है।